/1

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

निविदा सूचना

पत्रांक :– 227 /न0पा0परि0आ0/2017–18 दिनांक :– 09/05/17

निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के समस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में अमृत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क एवं ग्रीन स्पेस योजना हेतु दिनांक 24.05.2017 को अपरान्ह 01:00 बजे से 03:00 बजे तक सीलबन्द निविदायें टेक्निकल/फाईनेन्शियल आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे निविदादाताओं एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के समक्ष खोली जायेगी। जिसमें टेक्निकल बिड क्वालीफाई करने वाले निविदादाताओं को ही फाईनेन्शियल बिड प्रतिस्पर्धा में शामिल किया जायेगा।

निविदा (टेक्निकल बिड एवं फाईनेन्शियल बिड) दिनांक 23.05.2017 को अपरान्ह 10:00 बजे से 04:00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा के साथ 02 प्रतिशत धरोहर राशि NSC/EDR बैंक गारन्टी पत्र जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के पक्ष में बन्धक हो मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य है। कार्य योजना से सम्बन्धित किसी भी जानकारी/शर्ते आदि को किसी भी कार्य दिवस में 10:00 बजे से 04:00 बजे तक देखा जा सकता है।

क्र0 सं0	कार्य योजना का नाम	स्वीकृत लागत लाख में		धरोहर राशि (लाख रू0में)	निविदा मूल्य (5)ब्यापार कर (रू0)	कार्य की अवधि
		योजना	O&M			
1	मु0सिविल लाइन में मेहता पार्क का सौन्दरीकरण कार्य।	36.01	7.43	0.7202	3790	4 माह

नोटः– उपरोक्त कार्यो हेतु शासन द्वारा स्टेट हाईपावर स्टेरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत की गयी है शांसन द्वारा धनराशि प्राप्त होने पर उपरोक्त कार्यो का भुगतान पालिका द्वारा देय होगा।

1– कार्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलितं समस्त घटक जैसे पाथ्वे चाइल्ड फ्रेण्डली एक्यूपमेन्ट डस्टवीन, बेन्च पार्क, डस्टवीन स्ट्रीट, सोलर लाईट/हाई मास्ट एवं प्लानटेशनर, फाउन्टेल डेवलपमेन्ट आदि कार्य करने हेतु निविदादाताओं को अनुभवी/तकनीकी स्टाफ रखना अनिवार्य है।

2– निविदाताओं को कार्य योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ उसके 05 वर्षो तक रख–रखाव करना अनिवार्य है। जिसमें जमानत राशि रख–रखाव अवधि बीतने के पश्चात रिलीज की जायेगी।

3– निविदा स्वीकृत होने की सूचना राज्य स्तर पर गठित तकनीकी समिति मिलने के उपरान्त दी जायेगी, स्वीकृतोपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।

4– सशर्त टेण्डर पर विचार नही किया जायेगा।

5– मियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर, श्रमकर, रायल्टी आदि की कटौती की जायेगी।

6– टेण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित किमत के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा तथा साथ ही एक बान्ड/शपथ पत्र भी देना होगा।

7– टेण्डर के साथ निर्धारित धरोहर राशि NSC/राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के पदनाम से बन्धक कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा, एवं ठेकेदार के पास उपलब्ध धरोहर धनराशि के अनुसार ही टेण्डर निर्गत किये जायेगें।

8– टेण्डर फार्म पर टेण्डर रेट (दरें) प्रतिशत आधार पर अंकित होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नही होगा।

9– सी0सी0 निर्माण कार्य में ब्राइब्रेटर चलाना अनिवार्य होगा।

10– शासनादेश के अनुसार टेण्डर के साथ रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर स्व–घोषणा पत्र, शपथपत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

11– स्थल का निरीक्षण निविदादाता को टेण्डर देने के पूर्व करना होगा बाद में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी।

12– निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त तीन दिन के अन्दर निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना एवं लेवर सेस में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

13– स्वीकृत निर्माण कार्य के सापेक्ष भुगतान शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं शासन से धन उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

14– किसी कारण वश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

15– कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार के अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।

4-05-2017.

(दिनेश कुमार विश्वकर्मा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिक परिषद
आजमगढ़

(इन्दिरा देवी जायसवाल)
अध्यक्ष
नगर पालिक परिषद
आजमगढ़

पृष्ठांकन संख्या :– 227 /

दिनांक :– 09/05/17

प्रतिलिपि :–

1. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला' को इस आशय से प्रेषित कि अपने समाचार–पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करके प्रकाशन की दो प्रति बिल के साथ प्रस्तुत करें।
2. अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय आजमगढ़ की सेवा में सूचनार्थ।
3. सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी आजमगढ़ को जनपद की बेवसाइट एन0आई0सी0 पर प्रसारित करने हेतु।
4. नाजिर कलेक्ट्रेट आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. लेखाकार, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ को अवलोकनार्थ।
7. रोकड़पाल निविदा मूल्य जमा करने हेतु।
8. रिकार्ड कीपर निविदा मूल्य रसीद देने पर निविदा फार्म देने हेतु।

5-05-2017

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़